प्रेस विज्ञप्ति
25.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने बड़े पैमाने पर संचालित **ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग एवं निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट** से संबंधित धन शोधन जांच के क्रम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई, पुणे एवं बेंगलुरु स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह जांच "ऑल पैनल एक्सचेंज" (https://allpanelexch.com/) नामक ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टेबाजी मंच से जुड़े मामले पर आधारित है, जिसमें एक शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से उक्त प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया था। इस संबंध में जलगांव पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। लॉगिन विवरण उपलब्ध कराने के बाद शिकायतकर्ता को प्रारंभिक चरण में कुछ धनराशि निकालने की अनुमति दी गई, ताकि उसका विश्वास अर्जित किया जा सके। इसके बाद उसे अधिक धनराशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में जब उसने धन निकासी का प्रयास किया तो उसके अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए और प्लेटफॉर्म संचालकों ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया।

पीएमएलए के तहत जांच में पता चला कि गेमिंग/सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के पीड़ितों से एकत्र की गई धनराशि को विभिन्न म्यूल खातों एवं लेयरिंग संस्थाओं के माध्यम से पुणे स्थित एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में भेजा गया, जहां सैकड़ों करोड़ रुपये प्राप्त हुए। एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड तथा उससे संबद्ध संस्थाओं के बैंक खाते देशभर में ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी, निवेश धोखाधड़ी, शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी, क्रिप्टो धोखाधड़ी तथा ऑनलाइन टास्क-आधारित धोखाधड़ी से संबंधित अनेक साइबर अपराध शिकायतों से जुड़े पाए गए। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बेंगलुरु पुलिस ने एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें शिकायतकर्ता से 5.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

जांच में यह भी सामने आया कि अपराध की आय के एक हिस्से को सुनियोजित तरीके से शेल एवं संबद्ध संस्थाओं के जाल के माध्यम से लेयरिंग किया गया, तत्पश्चात उसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। आगे की जांच में यह भी पाया गया कि अपराध की आय की लेयरिंग के लिए प्रयुक्त अनेक संस्थाएं केवल दिखावटी (डमी) थीं, जिनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। इन संस्थाओं की स्थापना डमी निदेशकों के नाम पर की गई थी, जबकि उनका वास्तविक नियंत्रण अन्य व्यक्तियों के हाथ में था। इनमें से कुछ संस्थाएं अपने पंजीकृत व्यावसायिक पते पर अस्तित्व में भी नहीं पाई गईं।

जांच में यह भी पता चला कि एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के केवाईसी दस्तावेजों एवं कूटरचित अभिलेखों का उपयोग कर एक व्यक्ति द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर खाता/वॉलेट खोला गया। उक्त व्यक्ति ने इस सहकारी संस्था के बैंक खाते के माध्यम से लगभग 800 करोड़ रुपये का लेन-देन किया, जिसमें से एक बड़ी धनराशि अवैध गेमिंग/सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भोले-भाले लोगों को ठगकर अर्जित अपराध की आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पाई गई।

तलाशी अभियान के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ऐसे अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।